

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 मई 2016—ज्येष्ठ 2, शक 1938

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई, 2016

क्र. एफ-19-10-2016-बारह-1.—कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक क. अ. 645(अ), दिनांक 02 मार्च, 2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन यह निर्देश देती है कि केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की खानों अथवा ब्लॉकों को छोड़कर सभी कोयला खानों के संबंध में, कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 4 के उप-नियम (3), (4) और (5) नियम 5, 7, 10 और 12 के अधीन कोयला नियंत्रक की शक्तियों का, राज्य सरकार के साथ-साथ, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश द्वारा भी प्रयोग किया जायेगा.

No. F-19-10 -2016-XII-1.—In exercise of the powers conferred by notification issued by Ministry of Coal, Government of India *vide* No. S. O. 645 (E), dated 02nd March 2016, the State Government, hereby, directs that the powers of the coal controller under sub-rule (3), (4) and (5) of rule 4, rules 5, 7, 10 and 12 of the Colliery Control Rules, 2004 in respect of all coal mines except the mines or blocks of Central Government Public Sector Undertakings, together with the State Government shall also be exercise by Director, Geology and Mining, Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, सचिव.